

डिक्री बमूकहमें इब्तदाई
(आदेश 21 नियम 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी जायल जिला नागौर
पीठासीन अधिकारी : अभिलाषा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या 190/2022

वादी

1. घनश्याम पुत्र चौथाराम, जाति जाट निवासी खंवर तहसील डेह

बनाम

प्रतिवादीगण

1. चौथाराम पुत्र बालाराम फौत
1/1 नराणी देवी पत्नी चौथाराम जाति जाट निवासी खंवर तहसील डेह
2. बस्तीराम पुत्र चौथाराम
3. देवकरण पुत्र चौथाराम
4. दिनेश पुत्र चौथाराम
5. सीता पत्नि बस्तीराम जातियान जाट निवासीगण खंवर तहसील डेह
6. प्रबंधक नागौर सहकारी भूमि बैंक लि. नागौर
7. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार डेह
8. निरमा पत्नी देवकरण
9. सरोज पत्नी दिनेश जातियान जाट



दावा अधीन धारा 53, 88, 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति -

1. वादी 1 कि ओर से श्री नरेन्द्रसिंह एडवोकेट
3. प्रतिवादी संख्या 1 से 5, 8, 9 की ओर से श्री ओमप्रकाश गोदारा एडवोकेट

—: डिक्री आदेश :-

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु हमारे व हाजरी वादी के अधिवक्ता श्री नरेन्द्रसिंह व प्रतिवादीगण के अधिवक्ता श्री ओमप्रकाश गोदारा एडवोकेट की उपस्थिति मे हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :-

1. वादी घनश्याम के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खंवर के खसरा नम्बर 457 रकबा 0.6475 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 458 रकबा 0.6475 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 472/2 रकबा 0.0405 हैक्टेयर में से 0.0135 हैक्टेयर उतरी हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
2. प्रतिवादी संख्या 5 सीता के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खंवर के खसरा नम्बर 457/1 रकबा 1.0441 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 458/1 रकबा 0.8984 हैक्टेयर यथावत रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
3. प्रतिवादी संख्या 8 निरमा के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खंवर के खसरा नम्बर 17 रकबा 1.0198 हैक्टेयर पूरा, खसरा नम्बर 388 रकबा 0.4775 हैक्टेयर पूरा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
4. प्रतिवादी संख्या 9 सरोज के हक बंट कब्जा काश्त में मौजा खंवर के खसरा नम्बर 427 रकबा 0.8984 हैक्टेयर पूरा खसरा नम्बर 573 रकबा 1.0360 हैक्टेयर पूरा रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) जायल

5. प्रतिवादी संख्या 2 बस्तीराम के हक बंट कब्जा काशत में मौजा खंवर के खसरा नम्बर 472/2 रकबा 0.0405 हैक्टेयर में से 0.0135 हैक्टेयर मध्य हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी कि घोषणा कि जाती है।
6. प्रतिवादी संख्या 3 देवकरण के हक बंट कब्जा काशत में मौजा खंवर के खसरा नम्बर 472/2 रकबा 0.0405 हैक्टेयर में से 0.0135 हैक्टेयर दक्षिणी हिस्सा नजरी नक्शानुसार रखा जाकर खातेदारी की घोषणा की जाती है।
7. प्रतिवादी संख्या 1/1 नराणी एवं प्रतिवादी संख्या 4 दिनेश के आराजी भूमि में से बंट नहीं रखने से तथा उक्त प्रतिवादी द्वारा अपना हक त्याग करने से प्रकरण पुश्तैनी भूमि का हक त्याग के द्वारा भूमि अंतरण का होने से नियमानुसार स्टाम्प ड्यूटि लिये जाने के प्रावधान होने से स्टाम्प ड्यूटि जमा होने पर राजस्व रिकॉर्ड पर अमल दरामद की कार्यवाही करें।
8. उक्त खसरान में से बैंक के रहन खसरों पर रहन यथावत रहेग रहन मुक्त होने पर अमल दरामद किया जावे। बैंक सूचित हो।
9. वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा डिक्री आदेश का भाग रहेगा।

आज की तारीख लीज - मुबलिक - बाबत् - खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर - फीस सदी सालाना ख.तारीख वसूल योगो तक - को अदा करें। बसील मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज दिनांक 24.12.24 को जारी किया गया

(अमिलाषा)
सहायक कलक्टर एवं
उपस्थान अधिकारी
जायल

मुद्दाई	रूपये	पैसे	मुहायला	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह साबूत मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्जर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिंक			स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी मेहनताना वकील खर्चा गवाहन फीस कमीष्जर बाबत इजराय हुक्मीजान मुतफरिंक		

नोट :- इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा यह दो फरीकन को चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं करना चाहिये।

(अमिलाषा)
सहायक कलक्टर एवं
उपस्थान अधिकारी
जायल

